

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-73/2025/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अन्तर्गत कुल रु० 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245801020005 में विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-256/आ0प्र0, दिनांक-15.10.2025 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग	विषय शीर्ष-		कुल आवंटन
		31 04-सहायक अनुदान-वेतन		
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	
1	संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	0.00	160.00	160.00

4. उक्त राशि विकास प्रबंधन संस्थान के पत्रांक-17174 दिनांक-06.08.2025 के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवंटित की जाएगी। वित्त विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार उतनी ही राशि की निकासी जाए, जितनी राशि की आवश्यकता हो।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाएगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42 A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी।
6. इस राशि की निकासी कर चेक/ड्रॉफ्ट के माध्यम से विकास प्रबंधन संस्थान को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-73/2025/.....245/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 20.03.2026

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/लेखाशाखा (दो प्रति में)/विकास प्रबंधन संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. विभागीय प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव